

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगपुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी- अभिषेक गोयल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 102/2018 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. मगना पिता भेरा जाट निवासी सोनियाणा तह. सहाडा जिला भीलवाडा।
2. लेहरू पिता दोला जाट निवासी सोनियाणा तह. सहाडा जिला भीलवाडा।
3. मोवनी पत्नि लक्ष्मण जाट निवासी सोनियाणा तह. सहाडा जिला भीलवाडा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. बक्षु पिता भूरा खाती निवासी सोनियाण तह. सहाडा जिला भीलवाडा।
2. बद्री पिता ज्वारू खाती निवासी सोनियाण तह. सहाडा जिला भीलवाडा।
3. मिठु बेवा नाराण खाती निवासी सोनियाण तह. सहाडा जिला भीलवाडा।
4. पन्ना पिता भूरा बलाई निवासी सोनियाण तह. सहाडा जिला भीलवाडा।
5. शंकर पिता भूरा बलाई निवासी सोनियाण तह. सहाडा जिला भीलवाडा।
6. श्यामलाल पिता घीसा गोद पिता बरदा बलाई निवासी सोनियाण तह. सहाडा जिला भीलवाडा।
7. घीसा पिता नानू बलाई निवासी सोनियाण तह. सहाडा जिला भीलवाडा।
8. भेरू पिता रूपा बलाई निवासी सोनियाण तह. सहाडा जिला भीलवाडा।
9. कालु पिता रूपा बलाई निवासी सोनियाण तह. सहाडा जिला भीलवाडा।
10. कन्हैयालाल पिता रूपा बलाई निवासी सोनियाण तह. सहाडा जिला भीलवाडा।
11. लेहरू पिता डालु बैरवा निवासी सोनियाण तह. सहाडा जिला भीलवाडा।
12. माधु पिता डालु बैरवा निवासी सोनियाण तह. सहाडा जिला भीलवाडा।
13. शंकर पिता डालु बैरवा निवासी सोनियाण तह. सहाडा जिला भीलवाडा।
14. उदयराम पिता छोगा बैरवा निवासी सोनियाण तह. सहाडा जिला भीलवाडा।
15. उदा पिता नानु बैरवा निवासी सोनियाण तह. सहाडा जिला भीलवाडा।
16. मदन पिता नानु बैरवा निवासी सोनियाण तह. सहाडा जिला भीलवाडा।
17. अर्जुन पिता नानु बैरवा निवासी सोनियाण तह. सहाडा जिला भीलवाडा।
18. बद्री पिता मांगु बैरवा निवासी सोनियाण तह. सहाडा जिला भीलवाडा।
19. हरदेव पिता सवाईराम निवासी सोनियाण तह. सहाडा जिला भीलवाडा।
20. बालु पिता ज्वारू बलाई निवासी सोनियाण तह. सहाडा जिला भीलवाडा।
21. हीरा पिता ज्वारू बलाई निवासी सोनियाण तह. सहाडा जिला भीलवाडा।
22. सोहन पिता ज्वारू बलाई निवासी सोनियाण तह. सहाडा जिला भीलवाडा।
23. देवीलाल पिता लेहरू जाट निवासी सोनियाण तह. सहाडा जिला भीलवाडा।

—विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:-21.01.2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम सोनियाणा, पटवार क्षेत्र सोनियाणा, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 3806 रकबा 0.10 है0, 3807 रकबा 0.09 है0, 3808 रकबा 0.15 है0 कुल किता 3 रकबा 0.34 है0 भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 खाता संख्या 364 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 23 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया।

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थनापत्र के अवलोकन बाद गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अधिकारी
भीलवाडा

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सोनियाणा, पटवार क्षेत्र सोनियाणा, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 3806 रकबा 0.10 है0, 3807 रकबा 0.09 है0, 3808 रकबा 0.15 है0 कुल किता 3 रकबा 0.34 है0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्ष की उपस्थिति में बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/- (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/- (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाडा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अभिषेक गोयल)
उपखण्ड न्यायालय
गंगापुर (भीलवाडा)
जिला भीलवाडा